



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58607

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3378/2026

रीता कुमारी

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : कुणाल शाह, पारिजात मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., उमेश प्रसाद सिंह

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल शाह के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह को सुना।
2. इस न्यायालय ने 13.03.2026 को निर्देश मांगा।
3. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री उमेश प्रताप सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक बयान दिया गया है कि वे कोई और हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
4. पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से फैसला किया जा रहा है।
5. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह स्वयं को ग्राम बड़हरा, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर की निवासी बताती है तथा यह भी दावा करती है कि उसका निवास उसके ससुराल, ग्राम लालगंज में है। याचिकाकर्ता के अनुसार, ग्राम लालपुर स्थित उसका आवास एक बड़े संयुक्त परिवार का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हिस्सा था, जहाँ आवासीय व्यवस्था सीमित थी। अतः व्यावहारिक कठिनाइयों एवं असुविधा के कारण, याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर गृहस्थी स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप, ग्राम पटेहरा, ब्लॉक हलिया, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर स्थित पैतृक भूमि पर पृथक आवास निर्माण का निर्णय लिया गया और आवास निर्माण के उपरांत वर्ष 2018 से याचिकाकर्ता ग्राम पटेहरा में निवास कर रही है। याचिकाकर्ता ने ग्राम पटेहरा में स्थायी रूप से निवास प्रारम्भ करने के पश्चात, उपजिलाधिकारी, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर के समक्ष निवास/अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन किया, जिसके क्रम में पंजीकरण संख्या 690202007026 दिनांक 03.09.2000 का निवास/अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया। यह भी याचिकाकर्ता का कथन है कि वर्ष 2021 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः पंजीकरण संख्या 692212002983 दिनांक 24.02.2021 का निवास/अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पटेहरा का स्थायी निवासी स्वीकार किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 21.03.2023 के शासनादेश के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया संचालित की गई। याचिकाकर्ता ने ग्राम पटेहरा, विकास खंड हलिया, जनपद मिर्जापुर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पटेहरा-III पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु आवेदन किया। चयन उपरांत, प्रत्यर्थी संख्या-3, जिला कार्यक्रम अधिकारी (विकास), जनपद मिर्जापुर द्वारा दिनांक 16.04.2025 को याचिकाकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। याचिकाकर्ता के कथनानुसार, उसी ग्राम की निवासी मोना पाण्डेय, पुत्री संतोष पाण्डेय ने आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता की आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रूप में नियुक्ति की पात्रता को उसके निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त शिकायत पर लेखपाल द्वारा जांच की गई और दिनांक 29.05.2025 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया गया तथा शिकायत असिद्ध पाई गई। इसके पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा दिनांक 24.03.2025 को एक अन्य शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने निवास/अधिवास प्रमाण-पत्र गलत तरीके से प्राप्त किया है। इस संदर्भ में रिट याचिका संख्या 26217 वर्ष 2025, *स्म्ट. प्रीति शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* दायर की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 27.08.2025 को शिकायत के निस्तारण हेतु निर्देश देते हुए किया गया। तत्पश्चात, रिट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा पत्र दिनांक 15.10.2025 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील



लालगंज, जनपद मिर्जापुर को प्रत्यर्थी संख्या-5 की शिकायत का निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि उपजिलाधिकारी, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर के निर्देश पर राजस्व अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच की गई तथा दिनांक 06.12.2025 को जांच आख्या प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत, प्रत्यर्थी संख्या-3, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 23.12.2025 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसके साथ जांच आख्या दिनांक 06.12.2025 की प्रति संलग्न थी और याचिकाकर्ता से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने दिनांक 26.12.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें विवेचना अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच किए जाने पर आपत्ति उठाई गई। इसके बाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 31.12.2025 को एक और नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.01.2026 को प्रस्तुत किया। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तरों पर विचार किए बिना ही, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 16.01.2026 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई तथा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।

6. उसी पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

7. दिनांक 13.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं:-

“1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिन के दौरान ग्राम पटेहरा, पोस्ट बिल्ला पटेहरा, जिला मिर्जापुर निवासी दिनेश शर्मा की पत्नी प्रीति शर्मा को प्रत्यर्थी संख्या 5 के रूप में पेश किया।

2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि दिनांक 16.01.2026 को आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दिया था, लेकिन कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाए गए तर्कों पर विचार किए बिना, कोई भी आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका के पैरा 45 में निहित कथनों के अनुसार आगे प्रस्तुत किया कि अधिवास प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया गया है और एक बार जब रिट याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों पर विवाद किया था, तो कम से कम मालिकाना मांग की गई थी कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री यू.पी. सिंह द्वारा निर्देश/हलफनामा दायर किया जाए जो नए प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित होते हैं।

4. इस प्रकरण को 20.03.2026 को दोपहर 2:00 बजे अतिरिक्त कारण सूची में इस स्पष्ट शर्त के साथ रखें कि प्रकरण को उस तारीख को स्थगित नहीं किया जाएगा।

5. श्री यू.पी. सिंह ने बार में एक बयान दिया है कि उनके पास फाइल है और रिट याचिका की प्रति उन्हें दी गई है।

8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला मिर्जापुर, तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित दिनांक 16.01.2026 के आदेश को एक पल के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता है। उक्त सबमिशन को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थीगण के लिए रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अवसर नहीं था, खासकर जब अधिवास/निवास प्रमाण पत्र को रद्द करने का कोई आदेश नहीं है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पैरा-42 से 45 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि एस.डी.एम. तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर के निर्देश के अनुसार, राजस्व अधिकारियों ने एक जांच की और 06.12.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उक्त जांच कार्यवाही एकपक्षीय है और एक बार 23.12.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिसका जवाब 26.12.2025 और 31.12.2025 को दिया गया, जिसका जवाब 08.01.2026 को दिया गया, तब जिला कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते आक्षेपित आदेश के लेखक, नोटिस के जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटने के लिए कानूनी दायित्व के अधीन थे और इसे आसानी से यह कहते हुए छोड़ नहीं दिया गया है कि यह संतोषजनक नहीं है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उसके अंकित मूल्य पर ले जाया जाता है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करने और जवाब मांगने/स्पष्टीकरण मांगने का उद्देश्य ही बेमानी अभ्यास होगा।

9. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री उमेश प्रसाद सिंह, जो पांचवें प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हैं, ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब इस तरह की गई जांच और 06.12.2025 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर, 23.12.2025 और 31.10.2025 को नोटिस जारी किए गए थे और रिट याचिकाकर्ता द्वारा 26.12.2025 और 08.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के बाद, आदेश पारित किया गया। उनके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार, रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के लिए यह तर्क देना काफी अनुचित होगा कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण में पारित आदेश की जांच की जानी चाहिए जैसे कि यह न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के समान हो। श्री सिंह, जो पांचवें प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में भी, जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड से स्पष्ट है, रिट याचिकाकर्ता उस गांव का निवासी नहीं है, जिसके आधार पर उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 सूची में ही क्रम संख्या 2 पर है और एक बार जब रिट याचिकाकर्ता को हटा दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 5 का दावा अमल में आ जाएगा।

10. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

11. जाहिरा तौर पर, रिट याचिकाकर्ता यहां दावा करता है कि उसे 21.03.2023 के शासकीय आदेश के अनुसरण में आंगनवाड़ी कार्यवाहक के पद पर नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03.09.2020 को और 24.02.2021 को गांव पटेहरा में रिट याचिकाकर्ता के निवास को दर्शाते हुए अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया था। हालांकि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, श्रीमती मोना पांडे की शिकायत पर रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके अधिवास प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र के संबंध में एक जांच की गई थी, जो 29.05.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद रिट याचिकाकर्ता के अनुसार निराधार पाई गई थी और उसके बाद, पांचवें प्रत्यर्थी ने गैर-निपटान के खिलाफ शिकायत को प्राथमिकता दी, एक रिट याचिका को 2025 की रिट याचिका संख्या 26217 के रूप में प्राथमिकता दी गई। जिसका निपटारा 27.08.2025 को किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी को एस.डी.एम. तहसील लालगंज, मिर्जापुर के निर्देश के अनुसार रिट याचिकाकर्ता की शिकायत पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी, राजस्व अधिकारियों ने एक जांच की, जो रिट याचिकाकर्ता के अनुसार एक व्याख्यात्मक है, और 06.12.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 23.12.2025 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 26.12.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 31.12.2025 को एक और नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब 08.01.2026 को प्रस्तुत किया गया था। स्पष्ट रूप से और सरलता से, रिट याचिकाकर्ता कारण बताओ नोटिस, यानी 08.01.2026 के जवाब में उठाए गए तर्क पर विचार किए बिना आक्षेपित आदेश पारित करने में प्रत्यर्थीगण के आचरण पर सवाल उठा रहा है।



12. आक्षेपित आदेश पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उक्त आदेश दिनांक 06.12.2025 की रिपोर्ट पर आगे बढ़ता है और यह तथ्य कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 31.12.2025 के कारण बताओ नोटिस पर 08.01.2026 को प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया गया था। न्यायालय की राय में, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला मिर्जापुर द्वारा कुछ और विज्ञापन देने की आवश्यकता थी, यानी कैसे और किन परिस्थितियों में, हालांकि संक्षेप में, रिट याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस पर उठाई गई आपत्तियां संतोषजनक नहीं पाई गईं। हालांकि यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की न्यायिक प्राधिकरण के समान मानदंड पर जांच नहीं की जा सकती है, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता यह है कि नोटिस के जवाब में उठाए गए तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा, कारण बताओ नोटिस जारी करना और जवाब देना अनावश्यक हो जाएगा।

13. इतना ही, रिट याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत करते समय जो कारक जुटाए गए थे कि एक बार अधिवास या आवासीय प्रमाण पत्र अभी भी अस्तित्व में है और इसे रद्द नहीं किया गया है, इस प्रकार उम्मीदवारी को रद्द करने या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर सेवाओं के वितरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है और इस पर विचार नहीं किया गया है।

14. इसके अलावा, एक और पहलू, जिसे अधिकारियों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, वह पांचवें प्रत्यर्थी की ओर से उठाई गई आपत्तियां हैं कि रिट याचिकाकर्ता, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, पटेहारा गांव का निवासी नहीं है, क्योंकि उपरोक्त पहलू प्रकरण की जड़ तक जाता है और वे जर्मन हैं, इस प्रकार आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

15. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है:

(क) जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर, तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित दिनांक 16.01.2026 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(ख) प्रकरण को छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर को वापस भेज दिया जाता है।



(ग) पांचवें प्रत्यर्थी के लिए यह खुला होगा कि वह सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर के पास प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है और उक्त अनुरोध पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा भी विचार किया जाएगा।

(घ) आदेश पारित करने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि इस न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोष पर निर्णय लिया है, क्योंकि आदेश पारित करते समय सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से विधि अनुसार कार्य करेगा।

16. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

20 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)